<u>न्यायालय –सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> जिला –बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.कमांक—677 / 2011 संस्थित दिनांक—22 / 09 / 2011 फाई.क.234503000782011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र रूपझर, जिला—बालाघाट (म.प्र.) ——————— **अभियोज**न

विरुद्ध

संदीप पिता अरूण पारधी उम्र—29 वर्ष, निवासी—उकवा मॉयल गेट उकवा, थाना रूपझर जिला—बालाघाट (म.प्र.)

_ _ _ _ _ <u>आरापा</u>

// <u>निर्णय</u> //

(आज दिनांक-06/07/2015 को घोषित)

- 1— आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड़ संहिता की धारा—279, 337, 338 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक—17.08.11 को 03:30 बजे थाना रूपझर अंतर्गत ग्राम चिखलाझोडी लोकमार्ग पर वाहन कार क्रमांक—एम.पी—50 सी.डी/1111 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित करते हुए उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर आहत पांडुरंग को ठोस मारकर उपहित तथा घोर उपहित कारित किया।
- 2— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना कोतवाली में पदस्थ श्रीचंद पांचे को अपराध कमांक—0 / 11, धारा—279, 337 भा.द.वि. की डायरी असल अपराध कायमी वास्ते प्राप्त हुई। दिनांक—17.08.11 को सुश्रुत अस्पताल बैहर रोड बालाघाट से प्राप्त हुई मोटरसाईकिल व कार एक्सीडेन्ट में घायल होने की तहरीर प्राप्त हुई। तहरीर की जांच उपरांत मुर्तजर पांडुरंग पिता भोलाराम टेंभरे उम्र—43 वर्ष, निवासी ग्राम सिर्रा, थाना वारासिवनी का मुलाहिजा कराया एवं उसके कथन लेख किया। उसने अपने कथन में बताया कि वह दिनांक—17.08.11 को बीमा संबंधी कार्य से अपनी मोटरसाईकिल क्रमांक—एम.एच—31 ए.डब्ल्यू / 7314 से बैहर जा रहा था कि रास्ते में

ग्राम चिखलाझोडी के पास थाना रूपझर, उकवा तरफ से तेज रफ्तार से आती हुई एक कार जिसका नंबर एम.पी—50 सी.डी / 1111 से उसकी मोटरसाईकिल को ठोस मारकर गिरा दिया, जिससे उसे चोट लगी और उसकी मोटरसाईकिल क्षतिग्रस्त हो गई। उक्त घटना की रिपोर्ट प्रधान आरक्षक राजेन्द्र तिवारी द्वारा फरियादी पांडुरंग टेम्भरे बताए अनुसार लेख की गई। उक्त घटना की रिपोर्ट पर अपराध कमांक—0 / 10, धारा—279, 337 लेख किया। जिसको असल नंबरी हेतु पुलिस थाना रूपझर भेजा जहां पुलिस थाना रूपझर द्वारा वाहन चालक के विरूद्ध अपराध कमांक—103 / 2011, धारा—279, 337 भा.द.वि. के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की। पुलिस द्वारा आहत का चिकित्सीय परीक्षण करवाया गया था। पुलिस ने विवेचना दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया, दुर्घटना कारित वाहन जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया, जप्तशुदा वाहन का मैकेनिकल परीक्षण कराया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा आहत पांडुरंग की एक्सरे परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरूद्ध धारा—338 भा.द.वि. का इजाफा किया किया गया। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफतार कर अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरूद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337, 338 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फॅसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया है।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है :-

- 1. क्या आरोपी ने दिनांक—17.08.11 को 03:30 बजे थाना रूपझर अंतर्गत ग्राम चिखलाझोडी लोकमार्ग पर वाहन कार क्रमांक—एम.पी—50 सी.डी/1111 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया?
- 2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर आहत पांडुरंग को ठोस मारकर उपहित तथा घोर उपहित कारित की ?

विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

- 5— आहत पांडुरंग (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानता है। घटना लगभग दो वर्ष पूर्व दिन के लगभग 3:30 बजे चिखलाझोड़ी के थोड़े पहले की है। वह अपनी मोटरसाईकिल से बालाघाट से बैहर आ रहा था, जैसे ही उसकी मोटरसाईकिल चिखलाझोड़ी के पास पहुंची तो सामने बैहर तरफ से एक सफेद रंग की कार आई, जिसका नंबर एम.पी—50 सी.डी/1111 था। उक्त कार रोड में गड़ढा होने से लहराई और उसकी मोटरसाईकिल से टकराई, टकराने से उसकी मोटरसाईकिल गिर गई और वह भी गिर गया था, जिससे उसके बांए पैर में चोट आई थी। घटना के समय उक्त कार को आरोपी संदीप चला रहा था। उक्त दुर्घटना कार चालक की गलती से हुई थी। आरोपी ने उसे ईलाज हेतु जैन अस्पताल बालाघाट लेकर गया था। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल बालाघाट में हुआ था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।
- 6— उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि दुर्घटना के समय सड़क की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वाहन तेजी से चल सके तथा दोनों वाहन सामान्य गित से वह अपनी साईड से चल रहे थे। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि यदि रोड में गढ्ढा नहीं रहता तो दुर्घटना नहीं होती। साक्षी ने मुख्य परीक्षण में आरोपी द्वारा दुर्घटना कारित वाहन लहराकर चलाने व आरोपी की गलती से दुर्घटना होना प्रकट किया है, जिसका खण्डन प्रतिपरीक्षण में नहीं किया गया है।
- 7— गजानंद टेम्भरे (अ.सा.2), लक्ष्मी सैय्याम (अ.सा.3), बाबूराम (अ.सा.4) ने अपनी साक्ष्य में कथन किये हैं कि वे आरोपी को नहीं जानते और घटना होते हुए उन्होंने नहीं देखा था। इस प्रकार उक्त साक्षीगण के कथन से अभियोजन मामलें को कोई समर्थन प्राप्त नहीं होता है।
- 8— देवेन्द्र सिंह चंदेल (अ.सा.६) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी संदीप को जानता है। घटना वर्ष 2011 की अगस्त माह की है। घटना दिनांक को वह अपनी कार से बैहर से बालाघाट वापस जा रहा था। उक्त कार को आरोपी संदीप चला रहा था, जैसे ही उनकी कार चिखलाझोड़ी के पास पहुंची तो सामने से एक दोपहिया वाहन ने गलत साईड से आकर उनकी कार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी और दोपहिया वाहन में बैठा आदमी गिर

गया था। उससे पुलिस ने वाहन से संबंधित दस्तावेज एवं वाहन जो सुधरने हेतु गैरेज में था, जप्त कर हिफाजतनामा में दिया था, जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—4 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने अभियोजन मामलें के अनुसार घटना में आरोपी की गलती होने से इंकार किया है। इस साक्षी ने दुर्घटना कारित वाहन का स्वामी होने से स्वाभाविक रूप से अपने वाहन के चालक की गलती न होना प्रकट किया है।

9— तैयब अंसारी (अ.सा.र) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि उसका अंसारी मोटर्स के नाम से मोती नगर बालाघाट में गैरज है। उसके द्वारा वाहन कमांक—एम.पी—50 सी.डी / 1111 दुर्घटना में क्षतिग्रस्त कार जो उसके गैरेज में बिगड़ी हालत में खड़ी थी, जिसकी जानकारी थाना प्रभारी रूपझर को दिया था, सूचना प्रदर्श पी—6 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा वाहन का परीक्षण कर परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी—7 तैयार की गई थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके सामने पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया था, किन्तु गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी—5 पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष देवेन्द्र सिंह से कोई जप्ती नहीं की थी। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—4 पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके सामने आरोपी को गिरफ्तार किया गया था और पुलिस ने जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—4 के अनुसार वाहन व दस्तावेज की जप्ती की थी। इस प्रकार साक्षी ने पुलिस अधिकारी की उक्त कार्यवाही का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

10— श्रीचंद पांचे (अ.सा.८) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह दिनांक—24.08.2011 को थाना रूपझर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ होते हुए उक्त दिनांक को उसे प्रथम सूचना प्रतिवेदन कमांक—0/11, धारा—279, 337 भा.द.वि. का असल नम्बरी हेतु प्राप्त होने पर उसके द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन कमांक—103, दिनांक—24.08.2011, धारा—279, 337 भा.द.वि. प्रदर्श पी—3 लेख किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। जिस प्रथम सूचना प्रतिवेदन के आधार पर असल नम्बरी प्रदर्श पी—3 लेख किया था, उक्त प्रथम सूचना प्रतिवेदन के आधार पर असल नम्बरी प्रदर्श पी—3 लेख किया था, उक्त प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रधान आरक्षक राजेन्द्र तिवारी के द्वारा लेख की गई थी, जो प्रदर्श पी—8 है, जिस पर प्रधान आरक्षक राजेन्द्र तिवारी के हस्ताक्षर हैं, जिनके हस्ताक्षर वह साथ में कार्य करने के कारण पहचानता है। उक्त साक्षी ने अपनी साक्ष्य में मामलें में प्राथमिकी दर्ज किये जाने के संबंध में समर्थनकारी

साक्ष्य पेश की है।

डॉ. एस.आर. पवार (अ.सा.९) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक-17.08.2011 को उसके क्लिनिक में आए हुए मरीज पांडुरंग वल्द भोलाराम टेंभरे उम्र-43 वर्ष निवासी ग्राम सिर्रा, थाना वारासिवनी की सूचना कोतवाली बालाघाट में उसके द्वारा भेजी गई थी। उसके द्वारा भेजी गई सूचना प्रदर्श पी-9 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा आहत की चोटों का परीक्षण करने पर उसके शरीर पर निम्न बाहरी चोटें आई थी। चोट कमांक-1 बांए पैर के नीचले भाग में फैली हुई सूजन, टेढ़ापन तथा हड्डी टूटने की आवाज महसूस हो रही थी। चोट क.-2 बांए टखने एवं बांए पैर के नीचले भाग में बहुत सी फैली हुई चोटें तथा खरोंच के निशान थे। उसके द्वारा मरीज को बांए पैर के एक्सरे की सलाह दी गई थी। साक्षी के अभिमतानुसार उपरोक्त चोटे उसके परीक्षण के 24 घंटे के भीतर की थी। आहत को आई चोट कमांक-1 गंभीर प्रकृति एवं चोट कमांक-2 साधारण प्रकृति की थी। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-10 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक-18.08.2011 को मरीज को भर्ती तथा ईलाज की बेडहेड टिकट प्रदर्श पी-11 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा आहत के निवेदन पर उसे डिस्चार्ज किया गया था तथा डिस्चार्ज टिकट प्रदर्श पी-12 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार इस चिकित्सीय साक्षी की साक्ष्य से इस तथ्य का समर्थन होता है कि घटना के समय आहत पांडुरंग को घोर उपहति कारित हुई थी।

12— डॉ मिलिन्द मधुकर (अ.सा.10) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—18.08.2011 को देशकर अस्पताल भंडारा में अस्थि रोग विशेषज्ञ के रूप में पदस्थ था। उक्त दिनांक को पांडुरंग भोलाराम टेम्भरे उम्र—42 वर्ष, निवासी वारासिवनी जिला बालाघाट को देशकर अस्पताल में भर्ती किया गया था, जिसके बांए पैर के नीचे के भाग में एक जख्म था, जिसका एक्सरे कराया गया। एक्सरे में लेफ्ट पैर के नीचे वाले भाग पर टिबीया फीबुला हड्डी में फेक्चर होना पाया था। मेरी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी—13 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त आहत की उसके अस्पताल में दिनांक—20.08.2011 को सर्जरी की गई थी और दिनांक—31.08.2011 को डिस्चार्ज किया गया था। इस साक्षी ने आहत पांडुरंग को उसके पैर के नीचे वाले भाग पर अस्थिभंग होने से उसे घोर उपहित कारित होने की पुष्टि की है।

अनुसंधानकर्ता अधिकारी हीरालाल धैर्यकर (अ.सा.५) ने अपने मुख्य 13-परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-24.08.2011 को थाना रूपझर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ होते हुए अपराध क्रमांक-103/2011, धारा-279, 337 भा.. वि. का प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रधान आरक्षक श्रीचंद पांचे द्वारा लेख की गई थी, जो प्रदर्श पी-3 है, जिस पर प्रधान आरक्षक श्रीचंद पांचे के हस्ताक्षर हैं, जिन्हें वह साथ में कार्य करने के कारण पहचानता है। उक्त प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उसके द्वारा दिनांक-29.08.2011 को बाबूराव की निशानदेही पर एवं गवाह लक्ष्मी की उपस्थिति में घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी-2 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान आहत पांडुरंग, जी.एल. टेम्भरे, लक्ष्मीबाई के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। उसने दिनांक-29.08.11 को आरोपी से साक्षियों के समक्ष वाहन क्रमांक-एम.पी-50 सी.डी / 1111 मय दस्तावेजों के जप्त कर जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-4 तैयार कर आरोपी को गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-5 के अनुसार गिरफ्तार किया था। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने मामलें में की गई अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।

- 14— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत एकमात्र साक्षी स्वयं आहत पांडुरंग (अ.सा. 1) ने अपनी साक्ष्य में आरोपी की दुर्घटना कारित वाहन कमांक—एम.पी—50 सी. डी/1111 के चालक के रूप में पहचान करते हुए आरोपी के द्वारा उक्त वाहन को लहराकर चलाते हुए आरोपी की गलती से दुर्घटना कारित होने के कथन किए हैं, जिसका खण्डन उसके प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है।
- वचाव पक्ष की ओर से यह तथ्य पेश किया गया है कि पांडुरंग (अ.सा.1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में घटना के समय आरोपी की कार को सामन्य गति से चलना बताया है, इस कारण आरोपी के द्वारा उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाया जाना साबित नहीं होता। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि मात्र तेज गति से वाहन चलाया जाना ही उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक वाहन चालन की श्रेणी में नहीं आता, बल्कि वाहन को सम्यक् तत्परता से एवं सावधानीपूर्वक न चलाया जाना भी वाहन के उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक चालन की श्रेणी में आता है। घटना के समय आरोपी के द्वारा रोड के गढ्ढे होने से लहराते हुए आहत की मोटरसाईकिल को टक्कर मारी गई थी, जो कि आरोपी के द्वारा लोकमार्ग में वाहन को उतावलेपन व उपेक्षा से चलाया जाना

की श्रेणी में आता है, जिसके फलस्वरूप आहत पांडुरंग को घोर उपहित कारित हुई।

16— अभियोजन की ओर से अन्य चक्षुदर्शी साक्षी ने अभियोजन मामलें का समर्थन नहीं किया है, किन्तु स्वयं आहत पांडुरंग (अ.सा.1) की अखण्डित साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है। ऐसी दशा में अन्य साक्षीगण का अपनी साक्ष्य में अभियोजन का समर्थन न किये जाने से अभियोजन का मामला प्रभावित नहीं होता है। मामलें में चिकित्सक व अनुसंधानकर्ता अधिकारी की समर्थनकारी साक्ष्य से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि घटना के समय आहत पांडुरंग को घोर उपहित कारित हुई थी तथा आरोपी के द्वारा लोकमार्ग पर उक्त दुर्घटना कारित वाहन का चालन किया जा रहा था। आरोपी के आधिपत्य से दुर्घटना कारित वाहन की जप्ती का भी बचाव पक्ष की ओर से खण्डन नहीं किया गया है।

- 17— उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया है कि आरोपी ने दिनांक—17.08.11 को 03:30 बजे थाना रूपझर अंतर्गत ग्राम चिखलाझोडी लोकमार्ग पर वाहन कार क्रमांक—एम.पी—50 सी.डी/1111 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर आहत पांडुरंग को ठोस मारकर घोर उपहित कारित की। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड़ संहिता की धारा—279, 337, 338 के अपराध के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
- 18— आरोपी को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपी की ओर से निवेदन किया गया कि प्रकरण न्यायालय में वर्ष 2011 से लंबित है, जिसमें वह नियमित उपस्थित होता रहा है। अतएव उसे केवल अर्थदण्ड से दंडित कर छोड़ा जावे।
- 19— प्रकरण के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रकरण में आरोपी वर्ष 2011 से विचारण का सामना कर रहा है। आरोपी के विरुद्ध किसी अपराध में दोषसिद्धी का प्रमाण नहीं है। आरोपी 29 वर्ष का नवयुवक है। आरोपी को धारा 337 एवं 338 भा.द.वि. के अंतर्गत दोषी पाया गया है, उक्त दोनों अपराध एक ही संव्यवहार व कार्य से गठित है। अपराध की प्रकृति, प्रकरण की परिस्थितियों, माननीय मध्यभारत उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ द्वारा विधि दृष्टान्त राज्य विरुद्ध गुलाम मीर, ए.आई.आर. 1956 एम. वी. पृष्ठ 141 में प्रतिपादित सिद्धान्त एवं धारा 71 भा.द.सं. के प्रावधान अंतर्गत आरोपी को धारा—338 भा.द.वि. के गुरूत्तर अपराध में दंडित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड़ संहिता की धारा-279, 338 के अपराध में न्यायालय उठने तक की सजा एवं क्रमशः 1000/-, 1000/-रूपये कुल 2,000/- के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में भारतीय दण्ड़ संहिता की धारा–279, 338 के अपराध के अंतर्गत आरोपी को एक–एक माह का साधारण कारावास भुगताया जावे।

आरोपी के जमानत मुचलके निरस्त किया जाता है। 20-

प्रकरण में जप्तशुदा वाहन कमांक-एम.पी-50 सी.डी / 1111 मय 21-दस्तावेज के सुपुर्ददार देवेन्द्र सिंह चंदेल पिता जी.एस. चंदेल, निवासी वार्ड नंबर 32 निर्मल नगर बालाघाट, जिला बालाघाट को सुपुर्दनामे पर प्रदान किया गया है, जो कि अपील अवधि पश्चात् उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, ALIMAN PAREIDO SILVANIA PROPERTO SILVANIA PROPER जिला-बालाघाट

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट